

न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड़, जिला बाड़मेर

राजसव प्रकरण मामला संख्या 184/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल वनाम गैर सायल
राजस्थान राज्य देवाराग,दमाराम पिता पुरखाराम
जरिये पटवारी चोचरा जाति जाट निवारी बुढातला।

"निर्णय"

दिनांक:- 26.12.2024

पत्रावली आज वमुकाम भियाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपरिथत पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चोचरा ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा बुढातला के खसरा नं. 1154/415,1408/1404 रकबा 365.18 बीघा किरम कमश: गै.मुमकीन गोवा एवं गै.मुमकीन गोचर में से 05.14 बीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलव किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपरिथत रहा।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 36/- पूर्णांक में अक्षरे छतीस रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत एवं हल्का पटवारी -को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से वेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 26.12.2024 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार भियाड़

